संख्याः 223 / 2021 / 2331 /चार-2021

प्रेषक,

विनय श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

2. जिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

संस्कृति अनुभाग

लखनऊः दिनांक 20 दिसम्बर, 2021

विषयः- आजादी का अमृत महोत्सव एवं चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 16.12.2021 को जनपद बिठूर, कानपुर नगर में आयोजित 'विजय दिवस' कार्यक्रम हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, संस्कृति निदेशालय के पत्र संख्या- 3374/सं0नि0-15(67)/2021-22 दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 एवं जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्र संख्या 2760/एस0टी0/2021-22 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार दिनांक 16.12.2021 को जनपद बिठूर, कानपुर नगर में आयोजित 'विजय दिवस' कार्यक्रम के आयोजन हेतु निम्नवत विवरण के अनुसार रू0 25.89 लाख (रूपये पच्चीस लाख नवासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

क्रमांक	कार्य का विवरण	धनराशि
1.	टैंट एवं मंच की व्यवस्था	रू0 4.00 लाख
2.	लाइट एवं साउण्ड की व्यवस्था	रु0 4.00 लाख
3.	नानाराव पार्क परिसर की साज सज्जा की व्यवस्था	रु0 2.00 लाख
4.	1000 विद्यार्थियों / कलाकारों हेतु सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था	रु0 1.50 लाख
5.	कलाकारों हेतु आवास भोजन	रु0 2.00 लाख
6	रंगोली प्रतियोगिता, वेशभूषा प्रतियोगिता के विजेताओं एवं रंगोली कलर आदि पर व्यय	रु0 1.00 लाख
7	स्थानीय यातायात पर व्यय	रु0 0.20 लाख
8	प्रचार-प्रसार पर व्यय (कार्ड, ब्रोशर, स्टैंडी, होर्डिंग, बैकड्राप आदि)	रु0 2.00 लाख
9	अन्य व्यय (दीपांजलि, मोमेंटो, अतिविशिष्ट अतिथियों का स्वागत सत्कार, बैक स्टेज व्यवस्था आदि)	रु0 1.50 लाख
10	75 आल्हा गायक कलाकारों एवं उद्घोषक का मानदेय	रु0 1.65 लाख
11	कथक नृत्य नाटिका 'मणिकर्णिका'	रु0 1.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

12	एक शाम वीर शहीदों के नाम: सुश्री समरजीत रंधावा	रु0 3.54 लाख
13	अभिलेख प्रदर्शनी एवं चित्रकला प्रतियोगिता पर व्यय	रु0 1.00 लाख
14	यातायात पर व्यय	रु0 0.50 लाख
	कुल योग (रुपये पच्चीस लाख नवासी हजार मात्र)	**रु0 25.89 लाख**

3. उक्त वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत क्रमांक 1 से 9 पर अंकित मदों की धनराशि रू0 18.20 लाख (रू0 अट्ठारह लाख बीस हजार मात्र) जिलाधिकारी, कानपुर नगर को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाता में तथा क्रमांक 10 से 14 पर अंकित मदों की धनराशि रू0 7.69 लाख (रू0 सात लाख उनहत्तर हजार मात्र) आहरित कर निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. संस्कृति विभाग के शासनादेश संख्या-144/2021/1462 /चार-2021 दिनांक 10 सितम्बर, 2021 के माध्यम से 'आजादी का अमृत महोत्सव' एवं 'चौरी-चौरा शताब्दी समारोह' के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर के लिए स्वीकृत धनराशि रू0 10.00 लाख को अभी तक व्यय न किये जाने की स्थिति में, उक्त धनराशि रू0 10.00 लाख को प्रस्तावित कार्यक्रम में समायोजित करते हुए कार्यक्रम पूर्ण कराया जाए।

5. समस्त कार्यों के फोटोग्राफ, वीडियो आदि का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराये जाएंगे।

6. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

8. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-19-चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से किया जायेगा।

भवदीय,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>सं0- 223 / 2021 / 2331 (1) / चार-2021, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विनय श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in